354

मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई–अगस्त, 1997 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 29 जुलाई, 1997 (श्रावण 7, 1919)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री सत्यनारायण शर्मा, राज्यमंत्री खनिज साधन, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 40 (7) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 36 (7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1995-96 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री रामेश्वर अखण्ड, पारसचंद जैन, डॉ. माधव प्रसाद शास्त्री, सदस्य, उज्जैन स्थित इंदौर टेक्सटाईल मिल के बन्द होने से उत्पन्न स्थिति की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री कैलाश कुण्डल, सदस्य, देवास जिले के लोहारदा उप वन मण्डल मे इमारती लकड़ी का अवैध व्यापार होने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. वक्तव्य

(1) श्री शिव नेताम, वन मंत्री, दिनांक 13 मार्च, 1996 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 109 (क्रमांक 5320) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध मे वक्तव्य देंगे.

(2) श्री सत्यनारायण शर्मा, राज्य मंत्री, खनिज साधन, दिनांक 4 मार्च, 1997 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्रमांक 4412) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध मे वक्तव्य देंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, सामान्य प्रशासन मंत्री, मध्यप्रदेश मंत्री (वेतन तथा भत्ता) संशोधन विधेयक, 1997 (क्रमांक 27 सन् 1997) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

6. वर्ष 1997-98 की प्रथम अनुपूरक मांगों पर मतदान

निर्धारित समय 1 घन्टा

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"दिनांक 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष मे अनुदान संख्या 1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28, 29,30,31,32,33,34,36,39,40,41,42,44,45,47,51,52,54,55,56,58,60,64,65 66,67,72,76,79,80,81,82,83,84, तथा 85 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर पांच सौ तिरेपन करोड़, पच्चीस लाख, दो हजार, सात सौ रूपये की अनुपूरक राशि दी जाय."

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 1997 (क्रमांक 26 सन् 1997) का पुरःस्थापन* करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

15 मि. (2) श्री रविन्द्र चौबे, राज्यमंत्री उच्च शिक्षा, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश भोज विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 25 सन् 1997) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8. प्रतिवेदनों पर चर्चा

3 घन्टे मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल का वार्षिक वित्तीय विवरण वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 तथा निजी क्षेत्रों में सौंपी गई विद्युत परियोजनाओं से संबंधित विद्युत क्रय अनुबन्ध (पी.पी.ए.) दिनांक 11 नवम्बर, 1994 एवं दिनांक 27 मई, 1996 पर चर्चा.

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक 28 जुलाई, 1997

*अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.